7-3-24 पत्रावली पेश। वकील वादी या वादी स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का यह वाद पत्र अदम पैरवी-अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर शामिल दफ्तर हो। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
R.A.S.

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2024.05.23 10:25:22 IST
Reason: SelfAttested